प्रपत्र क॥

आदेश-पत्र के लिए प्रपत्र

(नियम 18 देखें)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद कोर्ट-II, गोपालगंज

उत्पाद विविध वाद सं0- 1192 / 24 सरकार बनाम

अभियुक्त का नाम [illegible]

पिता का नाम [illegible]

पता [illegible] थाना [illegible] जिला- गोपालगंज

गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान- [illegible] दिनांक- [illegible] समय- [illegible] को

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि- [illegible] पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधि0 2022) की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक- [illegible] को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह [illegible] से पकड़ा गया जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल / शराब का उपभोग किया था। उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। मैंने अभियुक्त को यह समझाया है की वह दोष मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसे सोचने समझने और पुनः विचार करने हेतु पुलीस अभिरक्षा से विरत कर 4 घंटा का पुनः विचार हेतु समय दिया जाता है।

एक घंटे पश्चात अभियुक्त पुनः अपने दोष को स्वीकार करता है और कहता है की वह बिना किसी दबाव, लोभ एवं लालच के प्रभाव में नहीं है। और वह अपना दोष स्वीकार करता है। अतः मैं अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधि0 2022) की धारा-37 के अधिन दोषी पाता हूँ। इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधि0 2022) की धारा-37 के अधीन ...[illegible]... रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

तिथि- राष्ट्रीय सौर तिथि-

यानि 08-02-24

स्थान- गोपालगंज

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह

विशेष उत्पाद कोर्ट-II, गोपालगंज।

08-02-24